भारत सरकार

विदेश मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 552

दिनांक 20.11.2019 को उत्तर देने के लिए

भारतीय मछुआरों पर आक्रमण

552. डॉ. टी. सुमति (ए.) तामिझाची थंगापंडियनः

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय और श्रीलंकाई दोनों सरकारों द्वारा किए गए कई उपायों के बावजूद विगत पांच वर्षों के दौरान श्रीलंकाई नौसेना द्वारा भारतीय मछुआरों पर हमला करने की घटनाएं अब भी जारी हैं;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान तथा आज की तिथि तक ऐसे कितने मामले रिपोर्ट किए गए हैं और ऐसी घटनाओं में कितने भारतीय मुछआरे बंदी बनाए गए, घायल हुए या मारे गए हैं;

(ग) क्या सरकार श्रीलंकाई नौसेना से झड़प के दौरान मुछआरों को ट्रैक करने के लिए सुरक्षा उपाय के रूप में उन्हें सेटेलाइट फोन प्रदान कर रही है;

(घ) यदि नहीं, तो सुरक्षा उपाय के रूप में मछुआरों को सेटेलाइट फोन नहीं दिए जाने के क्या कारण हैं; और

(ङ) ऐसे हमलों के प्रति मछुआरों को सुरक्षा और संरक्षा प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

विदेश राज्य मंत्री

(श्री वी. मुरलीधरन)

(क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान श्री लंका नौसेना द्वारा भारतीय मछुआरों पर (कथित) हमला करने की कुछ सूचनाएं मिली हैं। इन घटनाओं को तत्काल श्री लंका प्राधिकारियों के समक्ष उठाया गया। ऐसे मामालों का ब्यौरा नीचे दिया गया हैः-

क्र. स.	वर्ष	मारपीट/हमला करने की कथित घटनाओं की संख्या	कथित रूप से मारे गए मछुआरों की संख्या	इन घटनाओं में गिरफ्तार मछुआरों की संख्या	कथित रूप से घायल मछुआरों की संख्या
1	2016	02	शून्य	05	03

2	2017	02	01	10	02
3	2018	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
4	2019 (14 नवबंर तक)	05	00	44	14

(ग) और (घ) उपलब्ध सूचना के अनुसार तमिलनाडु सरकार ने तमिलनाडु के गहरे समुन्द्र में मछली पकड़ने के लिए जाने वाले मछुआरों को 160 सैटेलाईट फोन प्रदान किए हैं। भारत सरकार की सहायता से तमिलनाडु सरकार द्वारा पाक खाड़ी से गहरे समुन्द्र में ट्राल फिशिंग से लॉग लाइनिंग विवधीकरण के लिए शुरूआती आधार पर मछली पकड़ने वाली मशीनीकृत नौकाओं पर 507 ट्रांसपोन्डर्स भी संस्थापित किए गए हैं।

भारत सरकार की 'ब्लु रिवोल्युशन एकीकृत विकास एवं मतस्य पालन का प्रबंधन' स्कीम के अधीन मछुआरों को सुरक्षा किट प्राप्त करने के लिए सहायता प्रदान की जाती है जिसमें जीपीएस, संचार उपकरण, इकोसाउण्डर, लाईफ जैकेट, लाईफबॉय, आपदा सतर्क ट्रांसमिटर (डी ए टी), जीवन रक्षक उपकरण (वी एच एफ रेडियो टेलिफोन), फिश फाईण्डर, बैकअप बैटरी, खोज एवं बचाव संकेतक इत्यादि शामिल हैं।

(ड़) भारत सरकार भारतीय मछुआरों के संरक्षण, सुरक्षा एवं कल्याण को उच्चतम प्राथमिकता देती है। सरकार ने मछुआरों के मामलों को उच्चतम स्तर पर उठाया है, जिसमें प्रधानमंत्री द्वारा श्री लंका के प्रधानमंत्री के साथ बैठकों में उठाया गया मामला भी शामिल है। श्री लंका सरकार को मछुआरों के मामले को पूर्णतः मानवीय एवं जीविका यापन के रूप में देखने का अनुरोध किया गया है और इस पर जोर दिया गया है कि दोनों पक्षों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि किसी भी परिस्थिति में बल का प्रयोग नहीं होना चाहिए। वर्ष 2014 से अभी तक सतत कूटनीतिक प्रयासों के बाद सरकार ने 2079 भारतीय मछुआरों को मुक्त करवाया है, 04 भारतीय मछुआरें श्री लंका की कैद में हैं और उनकी रिहाई के प्रयास किए जा रहे हैं।

नवम्बर 2016 में 2+2 पहल के पश्चात जब दोनों देशों के विदेश एवं मतस्य पालन मंत्रियों ने नई दिल्ली में मुलाकात की थी, श्री लंका के साथ मछुआरों के मुद्दे का समाधान करने के लिए एक द्विपक्षीय संयुक्त कार्य समूह (जेडब्ल्यूजी) तंत्र और दोनों देशों के मतस्य पालन मंत्रियों की बैठक को संस्थागत रूप दिया गया था। अभी तक जेडब्ल्यूजी की 3 दौर की बैठकें और मंत्रियों की 2 बैठकें आयोजित हो चुकी हैं। सरकार जेडब्ल्यूजी की चौंथी बैठक करने और मंत्रियों की तीसरी बैठकें आयोजित करने के लिए लगातार श्री लंका सरकार के साथ संपर्क में है।

***